सं. 006/एमएससी/038/507258
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 14.03.2022

कार्यालय आदेश संख्या 10/03/22

विषय: बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफएफ) को भेजे जाने वाले संदर्भ, स्पष्टीकरण के संबंध में।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 06/08/19 द्वारा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड को पुन: आरंभ किया था। दिनांक 19.08.2021 के कार्यालय आदेश संख्या 14/08/21 द्वारा आयोग ने एबीबीएफएफ का पुनर्गठन किया था। बाद में, दिनांक 06.01.2022 के कार्यालय आदेश संख्या 02/01/22 द्वारा एबीबीएफएफ के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। यह देखा गया है कि कुछ वित्तीय संस्थानों और बैंकों में, एबीबीएफएफ को उनकी सलाह/सिफारिशों के लिए भेजे जाने वाले मामलों के संबंध में, विशेष रूप से निम्नलिखित दो पहलुओं के संबंध में स्पष्टता की कमी है:-

i) एबीबीएफएफ को मामले संदर्भित करने की प्रभावी तिथि; तथा
ii) क्या उन मामलों को एबीबीएफएफ को भेजा जाना है, जिनमें भले ही आंतरिक अन्वेषण के आधार पर, अधिकारियों के विरुद्ध स्टाफ की कोई जवाबदेही नहीं समझी गई हो।

2. इस संबंध में, आयोग के दिनांक 21.08.19, 19.08.21 और 06.01.22 के कार्यालय आदेशों के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैं: -

(i) आयोग के दिनांक 21.08.2019 के कार्यालय आदेश संख्या 06/08/2019 और दिनांक 15.01.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 01/01/2020 के माध्यम से, यह कहा गया था कि "जांच एजेंसियों अर्थात केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सिफारिश/संदर्भ सीबीआई दिए जाने पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 50 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों में, जिसमें महाप्रबंधक एवं इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी शामिल हैं, एबीबीएफएफ प्रथम स्तर का परीक्षण करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी बड़े धोखाधड़ी के मामलों को एबीबीएफएफ को संदर्भित करेगा एवं उनसे अनुशंसा/संदर्भ प्राप्त होने पर, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई करेगा।"

(ii) दिनांक 19.08.2021 के कार्यालय आदेश संख्या 14/08/21 के माध्यम से यह बताया गया था कि एबीबीएफएफ 50 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में कर्मचारियों/पूर्णकालिक निदेशकों की भूमिका की जांच करेगा, इस प्रकार एबीबीएफएफ के अधिकार क्षेत्र को सभी स्तरों के अधिकारियों (डब्ल्यूटीडी सहित) तक विस्तारित किया गया है।

(iii) दिनांक 06.01.2022 के कार्यालय आदेश संख्या 02/01/22 के माध्यम से आगे यह बताया गया था कि:

(क) "एबीबीएफएफ 3.00 करोड़ रुपये और 50.00 करोड़ रुपये तक की राशि से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगा, जिन्हें धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिनकी पीएसबी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई हो, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के मामले में 06.01.2022 को या उसके बाद घोषित धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेगा।

(ख) 3.00 करोड़ रुपये और 50.00 करोड़ रुपये तक की कुल राशि के मामले जिन्हें धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिनकी पीएसबी द्वारा आरबीआई को रिपोर्ट की गई हो और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के मामले में दिनांक 06.01.2022 से पहले धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया हो, लेकिन आईएसी एवं सीवीओ के माध्यम से अनुशासनिक प्राधिकारी को दिनांक 06.01.2022 को या उसके बाद प्राप्त हुआ हो, को भी एबीबीएफएफ के पास भेजा जाएगा।

(ग) 3.00 करोड़ रुपये और 50.00 करोड़ रुपये तक की राशि वाले मामलों में, जहाँ पीएसबी द्वारा एफएमआर दायर किया गया हो या पीएसएफआई द्वारा 06.01.22 से पहले धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया हो, लेकिन जांच एजेंसियों के पास आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, ऐसे मामलों को भी एबीबीएफएफ को सूचित किया जाना है।"

3. उपर्युक्त उद्धृत प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि 3.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी मामले, जिन्हें धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया है, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार दुर्भावनापूर्ण/आपराधिक उद्देश्य की जाँच के लिए एबीबीएफएफ को संदर्भित किया जाना है, यद्यपि बैंक ने कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं मानी है।

ह0/-
(अजय कनौजिया)
अपर सचिव

1. बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य
2. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
3. उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
4. संयुक्त निदेशक (नीति), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी